विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	गृह
प्रश्न संख्या अतारांकित	:	1908
उत्तर की तिथि	:	02–03–2022
विषय	:	सड़क दुर्घटनाएं
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर)
संबंधित मन्त्री	:	मुख्य मन्त्री

प्रश्न	उतर
क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:— (क) गत तीन वर्षों में दिनांक 01.02.2022 तक प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं से कितने लोगों की मृत्यु हुई है; जिलावार व वर्षवार ब्यौरा दें; (ख) सरकार इन दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्या पग उठा रही है; जिलावार, राष्ट्रीय व राज्य उच्च मार्गवार ब्यौरा दें; और (ग) ब्लैक स्पॉट कितने राष्ट्रीय व राज्य उच्च मार्गों व अन्य मार्गों पर चिन्हित किए गए हैं तथा उन्हें ठीक करने हेतु सरकार द्वारा क्या पग उठाए जा रहे हैं; इस कार्य हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है; जिलावार, वर्षवार एवं राष्ट्रीय/राज्य उच्च मार्गवार ब्यौरा दें?	सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

अतारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 1908 जो कि माननीय विधायक जगत सिहं नेगी (किन्नौर) द्वारा सड़क दुर्घटनाएं वारे पुछा गया है से सम्बन्धित सूचना।

(क) गत तीन वर्षो में दिनांक 01.02.2022 तक प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं से 3174 लोगों की मृत्यु हुई है जिसका जिलावार व वर्षवार ब्यौरा उपाबन्ध 'अ' पर है।

(ख) इन दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रदेश सरकार, पुलिस विभाग और परिवहन विभाग के माध्यम से आवश्यक पग उठा रही है। जिसका ब्यौरा उपाबन्ध 'ब' पर है।

(ग) हिमाचल में गत तीन वर्षो में कुल 74 ब्लैक स्पॉट, 1320 व्लनरेबल स्पॉट एव 2685 पोटेन्शियल ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं इनमें से राष्ट्रीय उच्चमार्ग के 47 ब्लैक स्पॉट एवं 155 व्लनरेबल स्पॉट चिन्हित हैं तथा हि0प्र0लो0नि0वि0 के अंतर्गत अन्य मार्गो पर 27 ब्लैक स्पॉट, 1165 व्लनरेबल स्पॉट एवं 2685 पोटेन्शियल ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं।

राष्ट्रीय उच्चमार्ग के 39 ब्लैकस्पॉट तथा 100 व्लनरेबल स्पॉट व हि0प्र0लो0नि0वि0 के अंतर्गत अन्य मार्गों पर 24 ब्लैक स्पॉट, 722 व्लनरेबल स्पॉट व 2126 पोटेन्शियल ब्लैक स्पॉट ठीक कर दिए गए हैं। शेष बचे हुए ब्लैक स्पॉट पर कार्य प्रगति पर है।

इस कार्य हेतु गत तीन वर्षों में रोड़ सेफ्टी फंड में 2019–20 में कुल 40 करोड़ रूपये, वर्ष 2020–21 में कुल 40.15 करोड़ रूपयें और वर्ष 2021–22 में कुल 50.50 करोड़ लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। जिलावार व वर्षवार ब्यौरा उपाबन्ध 'स' पर है।

उपाबन्ध 'अ'

वर्ष	2019	2020	2021	2022 (1.2.2022 तक)	Total
बिलासपुर	35	31	38	5	109
चंबा	78	74	85	6	243
हमीरपुर	35	37	22	2	96
कांगडा	156	125	127	6	414
किन्नौर	37	34	32	2	105
कुल्लू	134	53	77	10	274
लाहौल स्पीति	4	9	9	0	22
मण्डी	109	102	111	7	329
शिमला	186	157	189	18	550
सिरमौर	116	78	118	11	323
सोलन	118	121	142	9	390
ऊना	139	72	100	8	319
कुल	1147	893	1050	84	3174

उपाबन्ध 'ब'

प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस विभाग के माध्यम से किये गए प्रयासों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1) वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग

सड़क यातायात दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए. राज्य पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम और नियमों को राज्य में सख्ती से लागू किया जा रहा है। तेज गति और शराबी ड्राइविंग की जांच करने के लिए 453 नंबर की एल्को सेंसर, 63 स्पीड गन, 81 डोपलर रडार जिला पुलिस को उपलब्ध कराए गए हैं यातायात व्यवस्था एवं उल्लंघनकर्ताओं पर नजर रखने के लिए राज्य के विभिन्न स्थानों पर 118 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं।

2) मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अन्तर्गत किये गये चालान

पुलिस विभाग द्वारा गत पांच वर्षों में व् इस वर्ष 31 जनवरी 2022 तक मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अन्तर्गत किये गये चालानों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	चालानों की कुल संख्या	पुलिस द्वारा प्रशमन किये गये चालानों की संख्या	वसूला गया कुल जुर्माना
2017	628597	450164	150125705
2018	833166	814559	230038725
2019	1095549	780816	304225405
2020	1014657	751819	208895219
2021	1018490	615000	251900010
2022 upto 31.1.2022	68367	22389	22024900

3) लाइसेंस का निलंबन

सड़क सुरक्षा पर सर्वोच्च न्यायालय की समिति के निर्देशानुसार जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे तेज गति, शराब पीकर गाड़ी चलाना, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का उपयोग, रेड लाइट जंपिंग, खतरनाक ड्राइविंग, माल वाहक वाहनों में ओवरलोड और यात्रियों को ले जाने पर

उल्लघंन कर्ताओं के ड्राईविंग लाइसेंस निलंबन के लिए संबंधित आरटीओ / आरएलए को प्रेषित करें ।

4) सड़क दुर्घटना डेटा प्रबंधन प्रणाली **(RADMS)-**

राज्य में सड़क यातायात दुर्घटनाओं का डेटा बेस तैयार करने के लिए रोड एक्सीडेंट डेटा मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया है । पुलिस मुख्यालय में ADMC द्वारा सड़क यातायात दुर्घटनाओं के आंकड़ों की निगरानी / विश्लेषण किया जा रहा है। भविष्य में यह उन स्थानों की पहचान करने के लिए बहुत उपयोगी होगा जहां दुर्घटनाएं बार–बार होती हैं । यह प्रणाली दुर्घटनाओं के पैटर्न और विश्लेषण का अध्ययन करने के लिए व सड़क यातायात दुर्घटनाओं रोकथाम के उपाय हेतु सहायक सिद्ध होगी ।

5) ब्लैक स्पाट **(BLACK SPOTS)**

भारत सरकार के सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के ब्लैक स्पाट की समान मानक परिभाषा के अनुसार वर्ष 2019 में समय अवधि वर्ष 2017 से 2019 तक वर्ष 2020 में समय अवधि वर्ष 2018 से 2020 हुई सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों के आधार पर इस विभाग द्वारा इस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग, मुख्य जिला मार्ग, राज्य मार्ग व अन्य मार्गो पर 195 व् 203 ब्लैक स्पाट की पहचान की गई है, जिसकी सूची सुधार हेतु लोक निर्माण विभाग हि0 प्र0 को भेजी जा चुकी है ।

6) सड़क सुरक्षा क्लब

पुलिस स्टेशन स्तर पर सड़क सुरक्षा क्लब का गठन किया गया है जिसमें ट्रक ऑपरेटर, टैक्सी ऑपरेटर यूनियन जैसे हितधारक क्लब के सदस्य हैं। इन क्लबों की बैठक हर महीने आयोजित की जा रही है जिसमें सदस्यों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए शिक्षित किया जा रहा है। इन बैठको में सड़क दुर्घटनाओं के कारण घायल, मृत्यु होने से समाज पर भारी वित्तीय और सामाजिक कुप्रभाव के बारे में भी विचार–विमर्श करके इन्हें कम करने के उपायों पर विचार

विमर्श किया जाता है । इन बैठकों में सड़क यातायात में सुधार के लिए सुझाव भी आमंत्रित किए जाते हैं ।

7) ई–चालान

वर्ष 2019 में प्रदेश में ई–चालान व्यवस्था को लागू किया गया है, जिसके लिए जिला पुलिस को ई–चालान हेतु 750 मोबाईल फोन उपलब्ध करवाए गए थे। वर्तमान में इसी व्यवस्था को जारी रखने के लिए 768 Nos of hand held terminals PoS जिला पुलिस अधीक्षकों को उपलब्ध करवाए गए हैं । ई–चालान व्यवस्था से उल्लघंन कर्ताओं द्वारा बार–बार किये जाने वाले अपराधों की पहचान करके उनके लाईसैंसों के निलम्बित करने की सिफारिश की जा सकती है व बढ़ाया हुआ जुर्माना लगाया जा सकता है ।

8) इंटेलिजेंट यातायात प्रबंधन प्रणाली (आईटीएमएस)

मोटर वाहन अधिनियम के तहत ओवर स्पीडिंग, ट्रिपल राइडिंग और बिना हेलमेट के उल्लंघन के लिए स्वचालित रूप से पता लगाने और चालान जारी करने के लिए बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी लाहौल.स्पीति और सोलन जिलों में इंटेलिजेंट यातायात प्रबंधन प्रणाली (ITMS) लागू किया गया है। यह प्रणाली एक साथ कई ड्राइवरों द्वारा उल्लंघन का पता लगा सकता है।

9) स्वचालित नंबर प्लेट रीडिंग (एएनपीआर) कैमरे

राज्य में अंतरराज्यीय सीमाओं सहित 50 रणनीतिक स्थानों पर स्वचालित नंबर प्लेट रीडिंग कैमरे (कुल 118) स्थापित किए गए हैं। ये कैमरे स्वचालित रूप से डिफॉल्टर वाहन चालक का विवरण रिकॉर्ड करते हैं।

प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन विभाग के माध्यम से किये गए प्रयासों का विवरण निम्न प्रकार से हैं:–

1. प्रदेश में **सड़क दुर्घटना के आंकड़ों** के अनुसार प्रदेश की जनता व प्रदेश में आने वाले **पर्यटकों** को सड़क सुरक्षा उपायों एंव नियम कानुनों के प्रति जागरूक करने के लिए FM रेडियो द्वारा जिंगल तथा Social Media व Television के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है।
2. हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा स्थापित निगम के 11 चालक प्रशिक्षण केन्द्रों में समय–समय पर हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालको को दुर्घटनाओ को रोकने बारे तीन दिवसीय चालक प्रशिक्षण रिफ्रेशर कोर्स दिया जाता हैं।
3. जिन चालकों की दुर्घटना के प्रति प्रवृति की शिनाखत होती है उन्हे दोबारा प्रशिक्षण देकर सुधारने की प्रकिया की जाती है, ताकि ऐसे चालक दोबारा दुर्घटना न करे।
4. राज्य परिवहन निगम द्वारा अपने सभी 11 चालक प्रशिक्षण स्कूलो में बायोमिट्रिक मशीन तथा सी.सी. टी.वी. कैमरे लगाए गये है।
5. यह भी सुनिश्चित किया गया हैं कि केवल मात्र यांन्त्रिक रुप से फिट बस ही सड़क पर चलाई जाए, इसके लिये प्रत्येक डिपो में 8 प्रतिशत बसें प्रति डिपो संचालित बस संख्या से अधिक दी गई है।
6. हिमाचल पथ परिवहन निगम में कार्यरत क्षेत्रीय प्रबन्धक/कार्य प्रबन्धक अपने स्तर पर चालको की काउंसलिंग करते हैं तथा दुर्घटना से बचाव सम्बन्धित जानकारी प्रदान करते हैं।
7. इसके अतिरिक्त समय–समय पर चालक/परिचालकों को दुर्घटनाएं रोकने हेतू परामर्श (Advisory) मुख्य कार्यालय द्वारा जारी की जाती है।
8. हिमाचल पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा कमजोर दुर्घटना स्थलों (Vulnerable Accidents Spot)की सूची निदेशक परिवहन तथा जिला प्रशासन को उपलब्ध करवा दी हैं।
9. सड़क सुरक्षा पर माननीय सर्वोच्च न्यायलय समिति के आदेश के अनुसार और सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिए, सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा कक्षा VI से X के छात्रों के लिए शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण राज्य परिषद (SCERT), सोलन द्वारा सड़क सुरक्षा पर एक पाठयक्रम तैयार किया गया है जिसे सरकार की मंजूरी के बाद आगामी शैक्षणिक सत्र के पाठयक्रम में शामिल किया जाएगा।
10. सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ और हितधारक विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के लिए उन्हें समय– समय पर प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों से आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
11. सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ पर एक वेबसाइट तैयार की जा रही है। सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ की इस वेबसाइट के शुभारंभ के साथ ही सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ और हितधारक विभागों द्वारा की जा रही

गतिविधियों के बारे में सभी सूचनाओं/परिपत्रों के साथ–साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय समिति द्वारा सड़क सुरक्षा पर जारी किए जा रहे विभिन्न निर्देशों का अनुपालन, सड़क सुरक्षा परिषद्, संसद सदस्य समिति/जिला सड़क सुरक्षा समिति, राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा समीक्षा समिति, राज्य स्तरीय स्थायी समिति और सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ व हितधारक विभागों द्वारा किए जा रहे कार्य सार्वजनिक कार्यक्षेत्र (Domain) पर उपलब्ध होंगे।

12. परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा (Protruding Cargo) मालवाहक वाहन से बाहर निकले निर्माण सामग्री जैसे सरिया, ऐंगल व लकड़ी आदि से होने वाली दुर्घटनाओं के खतरों के प्रति जागरुक करने के लिए वृत्तचित्र तैयार किया गया है।

13. आरटीओ कार्यालय उना परिसर में ट्रैफिक पार्क की स्थापना के लिए (CIRT) केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान पुणे महाराष्ट्र से परामर्श (Consultancy) सेवाओं को लेने की प्रक्रिया जारी है।

14. प्रदेश में स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा उपायों और संबंधित कानूनों/नियमों के बारे में जागरुक करने और उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, 1878 स्कूलों में ₹1,87,80,000 की राशि और 135 महाविद्यालयों में ₹ 33,75,000 की राशि स्वीकृत करके सड़क सुरक्षा क्लब स्थापित किए जा रहे हैं। इन क्लबों की स्थापना के लिए हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय के माध्यम से प्रधानाचार्यों को कुल ₹ 2,21,55,000 की राशि वितरित की गई है।

15. सड़क सुरक्षा उपायों के बारे में लोगों को जागरुक करने के लिए और सड़क सुरक्षा उपायों व गुड सेमेरिटन/नेक व्यक्ति को कानून द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा और अधिकारों के बारे में लोगों को जागरुक करने के लिए पुस्तिकाओं व गुड सेमेरिटन/नेक व्यक्ति पर दिशा–निर्देश पट्ट को सड़क सुरक्षा सेल/विभाग द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। इन पुस्तिकाओं व दिशा–निर्देश पट्ट को आरटीओ के माध्यम से व्यापक प्रचार के लिए सभी हितधारकों के विभागों/पुलिस स्टेशनों/पुलिस पोस्ट/अस्पतालों/शैक्षणिक संस्थानों/पेट्रोल पंप/बस स्टैंड/पंचायतों/ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूलों को वितरित किया जाएगा।

16. सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा पुलिस आर्केस्ट्रा के माध्यम से सड़क सुरक्षा पर एक गीत तैयार करवायाजा रहा है।

17. हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग की लिफ्ट परिसर में दृश्य स्थानों पर सड़क सुरक्षा पर बड़े बैनर/पोस्टर प्रदर्शित किए गए हैं।

उपाबन्ध 'ग'

AQ 13/16/137 ABSTRACT REGARDING IMPROVEMENT OF BLACK SPOTS, POTENTIAL BLACK SPOTS & VULNERABLE SPOT DURING THE FINANCIAL YEAR , 2019-20,2020-21 & 2021-22(upto 01/02/2022)

Sr. No.	Name of District	Financial Year	Black Spots out of 147 Nos(Identified by MORTH uot of List 90Nos.,195 Nos, & 286 Nos.(Police) which were defined as Black Spots as per defination of Black Spots			Potential Black Spots (Identified by police & PWD)			Vulnerable Black Spots (Identified by Police,GVK & HRTC) Which are also out of List 90Nos.,195 Nos, & 286 Nos.(Police) which were not identified BlackSpots as per defination of Black Spots.			Funds Alloted (in Lacs)	Expenditure (in Lacs)
			No. of Black Spots pertains	No. of Black Spots improved	Black Spots Yet to be Improved	No. of potential Black Spots pertains	No. of potential Black Spots improved	Black potential Spots Yet to be Improved	No. of Vulnerable Black Spots falls under	No. of Black Spots improved	Black Spots Yet to be Improved		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Solan	2019-20	5	2	2	36	36	0	17	16	1	219.97	219.58
		2020-21	0	0	0	49	49	0	2	2	0	226.00	215.53
		2021-22 up to 01-02-2022	0	0	0	18	17	1	21	17	4	630.74	623.50
		Total:-	**5**	**2**	**2**	**103**	**102**	**1**	**40**	**35**	**5**	**1076.71**	**1058.61**
2	Shimla	2019-20	3	3	0	115	85	20	132	117	15	791.00	759.11
		2020-21	0	0	0	48	42	6	0	15	8	615.00	613.07
		2021-22 up to 01-02-2022	0	0	0	92	41	51	0	7	1	499.00	357.24
		Total:-	**3.00**	**3.00**	**0.00**	**255.00**	**168.00**	**77.00**	**132.00**	**139.00**	**24.00**	**1905.00**	**1729.42**
3	Kinnaur	2019-20	0	0	0	11	1	10	0	0	0	0	12.7
		2020-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021-22 up to 01-02-2022	0	0	0	28	21	7	0	0	0	145	80.35
		Total:-	**0**	**0**	**0**	**39**	**22**	**17**	**0**	**0**	**0**	**145**	**93.05**
4	Sirmour	2019-20	1	1	0	41	41	0	4	3	1	295.00	219.00
		2020-21	0	0	0	32	32	0	0	0	0	214.00	109.40
		2021-22 up to 01-02-2022	0	0	0	60	17	44	0	0	0	200.00	33.99
		Total:-	**1**	**1**	**0**	**133**	**90**	**44**	**4**	**3**	**1**	**709**	**362.39**
5	Mandi	2019-20	3	3	0	204	204	0	44	44	0	767.92	868.69
		2020-21	0	0	0	88	88	0	261	56	205	792.98	790.56
		2021-22 up to 01-02-2022	0	0	0	104	65	39	218	50	168	465.00	361.26
		Total:-	**3**	**3**	**0**	**396**	**357**	**39**	**523**	**150**	**373**	**2025.9**	**2020.51**
6	Kullu	2019-20	4	4	0	54	0	54	182	144	38	250.00	270.51
		2020-21	0	0	0	7	7	0	114	88	26	255.00	245.99
		2021-22 up to 01-02-2022	0	0	0	7	6	1	0	0	0	290	136.45
		Total:-	**4**	**4**	**0**	**68**	**13**	**55**	**296**	**232**	**64**	**795**	**652.95**

Sr. No.	Name of District	Financial Year	Black Spots out of 147 Nos(Identified by MORTH uot of List 90Nos.,195 Nos, & 286 Nos.(Police) which were defined as Black Spots as per defination of Black Spots			Potential Black Spots (Identified by police & PWD)			Vulnerable Black Spots (Identified by Police,GVK & HRTC) Which are also out of List 90Nos.,195 Nos, & 286 Nos.(Police) which were not identified BlackSpots as per defination of Black Spots.			Funds Alloted (in Lacs)	Expenditure (in Lacs)
			No. of Black Spots pertains	No. of Black Spots improved	Black Spots Yet to be Improved	No. of potential Black Spots pertains	No. of potential Black Spots improved	Black potential Spots Yet to be Improved	No. of Vulnerable Black Spots falls under	No. of Black Spots improved	Black Spots Yet to be Improved		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Lahaul & Spiti	2019-20	0	0	0	0	0	7	1	0	1	0	0
		2020-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021-22 up to 01-02-2022	0	0	0	11	10	1	0	0	0	200	65.35
		Total:-	**0**	**0**	**0**	**11**	**10**	**8**	**1**	**0**	**1**	**200**	**65.35**
8	Hamirpur	2019-20	0	0	0	65	65	0	5	5	0	245	200.5
		2020-21	0	0	0	79	79	0	1	1	0	226.83	225.83
		2021-22 up to 01-02-2022	0	0	0	43	43	0	0	0	0	230	155.54
		Total:-	**0**	**0**	**0**	**187**	**187**	**0**	**6**	**6**	**0**	**860.41**	**581.87**
9	Bilaspur	2019-20	1	1	0	57	57	0	23	23	0	170	179.09
		2020-21	0	0	0	22	22	0	7	7	0	235	217.15
		2021-22 up to 01-02-2022	0	0	0	1	1	0	1	1	0	170	95.81
		Total:-	**1**	**1**	**0**	**80**	**80**	**0**	**31**	**31**	**0**	**575**	**492.05**
10	Una	2019-20	0	0	0	17	17	0	0	0	0	175	174.37
		2020-21	0	0	0	4	4	0	0	0	0	190	180.69
		2021-22 up to 01-02-2022	0	0	0	16	16	0	0	0	0	150	136.71
		Total:-	**0**	**0**	**0**	**37**	**37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**515**	**491.77**
11	Kangra	2019-20	4	4	0	130	118	12	20	18	2	786.78	786.35
		2020-21	5	5	0	81	78	3	5	5	0	796	763.81
		2021-22 up to 01-02-2022	0	0	0	85	81	4	0	0	0	322.91	194.78
		Total:-	**9**	**9**	**0**	**296**	**277**	**19**	**25**	**23**	**2**	**1905.69**	**1744.94**
12	Chamba	2019-20	1	1	0	508	508	0	56	56	0	300	300
		2020-21	0	0	0	219	219	0	39	39	0	465	361.3
		2021-22 up to 01-02-2022	0	0	0	353	56	297	12	8	4	310	302.5
		Total:-	**1**	**1**	**0**	**1080**	**783**	**297**	**107**	**103**	**4**	**1075**	**963.8**
State Total			**27.00**	**24.00**	**2.00**	**2685.00**	**2126.00**	**557.00**	**1165.00**	**722.00**	**474.00**	**11787.71**	**10256.71**

Sr. No.	Name of District	Financial Year	Black Spots out of 147 Nos(Identified by MORTH uot of List 90Nos.,195 Nos, & 286 Nos.(Police) which were defined as Black Spots as per defination of Black Spots			Potential Black Spots (Identified by police & PWD)			Vulnerable Black Spots (Identified by Police,GVK & HRTC) Which are also out of List 90Nos.,195 Nos, & 286 Nos.(Police) which were not identified BlackSpots as per defination of Black Spots.			Funds Alloted (in Lacs)	Expenditure (in Lacs)
			No. of Black Spots pertains	No. of Black Spots improved	Black Spots Yet to be Improved	No. of potential Black Spots pertains	No. of potential Black Spots improved	Black potential Spots Yet to be Improved	No. of Vulnerable Black Spots falls under	No. of Black Spots improved	Black Spots Yet to be Improved		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	National Highway												
1	NH Circle Shimla	2019-20	29	22	7	-	-	-	70	48	22	Black Spots is being rectified by overall funds allocated under Head NH (O) General 5054.01.337.03.01.53 by the Ministry of Road Transport & Highways, New Delhi. There is no separate HoAs of Road Safety under which funds being allocated.	
		2020-21											
		2021-22 up to 01-02-2022											
2	NH Circle Shahpur	2019-20	18	17	1	-	-	-	85	52	33		
		2020-21											
		2021-22 up to 01-02-2022											
	Total Natinal Highway		47	39	8	0	0	0	155	100	55		
	Grand Total		74.00	63.00	10.00	2685.00	2126.00	557.00	1320.00	822.00	529.00	11787.71	10256.71